

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उमवान

संजय कुमार बनाम रामेश्वर आदि

दाया बाबत :- 88, R.T.A.C.

मुकदमा नम्बर :- 376/2021

निर्णय दिनांक :- 17-12-2021

वादी की ओर से वकील सुभाष चन्द्र वर्मा की व प्रतिवादी सं० 1/11/3 की ओर से वकील सुभाष चन्द्र वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि सुधी मोजा मिरानी के खाता सं० 582/467 के मु० न० 72 किला न० 11 ता 13, 18 ता 20, मु० न० 73 किला न० 15/1, 16/1 25/1, मु० न० 96 किला न० 2/1, 2/2, 3 व 8 कुल 2-7830 हे० वारानी 2-7700 हे० जे० मु० रस्ता 0-0130 हे० कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम व सीधी चक्र 8 जे० एस० एल के खाता सं० 191/183 के मु० न० 62 किला न० 8 ता 13, 18 ता 20, 22/1, 23/2 कुल 2-4468 हे० वारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 रामेश्वर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० रामेश्वर के माजद वकील संजय कुमार व प्रतिवादी सं० रामेश्वर प्रतिवादी सं० 2 सुभाष चन्द्र प्रतिवादी सं० 3 सुभाष चन्द्र सिंह को गारिस्टो वारावर के खातेदार का उस्ताकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बंदू के खन हो तो खन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकॉर्ड के अन्तर्गत नाम किया जावे/राजो नाम का डिक्री का माज 461 जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) R.T.A.C.  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़  
 न्यायालय